बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–17/09/25

अ0सू0सं0–02–रा0(आ0)–02/14–5195/एम0, श्री झकारी राम सेवानिवृत्त खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्यानुपाति धनार्जन एवं अन्य कदाचार के प्रमाणित आरोपों के दृष्टिगत विभागीय अधिसूचना संख्या–2606/एम०, दिनांक–04.10.2016 से एवं शेखपुरा जिला में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के प्रमाणित आरोपों के दृष्टिगत विभागीय अधिसूचना संख्या–2389/एम0 दिनांक 28.08.2017 से उनके विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(ए)–सह–43(बी) के अंतर्गत पूरी पेंशन (शत–प्रतिशत) राशि स्थायी तौर पर जप्त करने की शास्ति अधिरोपित की गई।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–2606/एम०, दिनांक–04.10.2016 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-9009/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-9009/2017 में दिनांक 01.02.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया है:–

"The sentence imposed upon the petitioner does not, in the opinion of this court, cross the litmus test of proportionality as also reasonableness. Seizure of 100% pension would leave an employee with nothing to feed him. The property, which was not found to be in proportion to his known source of income, will not, even if the charge is accepted to be absolutely true, give his anything for sustaining himself- With the seizure of 100% pension, the basic human right of employee delinquent employee would be taken away.

For the aforesaid reasons, I do not countenance the correctness of the quantum of the punishment. Hence without commenting upon the disciplinary proceeding against the petitioner in its totality, only the punishment imposed of 100% seizure of pension for life is set aside.

The matter is remitted to the disciplinary authority for revisiting the quantum of punishment with reasonableness and such sensitiveness and such sensitiveness which is required.

In order to facilitate the fresh dicision making with respect to the punishment alone, the petitioner is directed to make a representation before the concerned authority/disciplinary authority along with a copy of this order, within a period for weeks from today. On receipt of the aforesaid dispose of such representation after giving a hearing to the petitioner by passing a fresh order on punishment within a period of eight weeks thereafter."

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-9009/2017 में पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–2606, दिनांक–04.10.2016 को विलोपित करते हुए श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी का 60% पेंशन जप्त करने की शास्ति आदेश ज्ञापांक–2038/एम०, दिनांक–04.07.2019 से अधिरोपित की गई। इस आदेश के

विरूद्ध श्री झकारी राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-19518/2019 दायर किया गया।

4. श्री झकारी राम के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक–2389, दिनांक–28.08.2017 से शास्ति दण्ड यथावत रहने के आलोक में प्रसंगाधीन मामले में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त की गई। विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2389 दिनांक 28.08.2017 द्वारा शत–प्रतिशत पेंशन जप्ती की शास्ति प्रभावी रहने के कारण उनके पक्ष में आदेश ज्ञापांक 4676 दिनांक 09.12.2019 से पेंशन विमुक्ति की स्वीकृति नहीं दी गई। विभागीय अधिसूचना संख्या–2389/एम०, दिनांक–28.08.2017 के विरुद्ध श्री झकारी राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-21783/2019 दायर किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों समादेश याचिकाओं CWJC No-19518/2019 एवं CWJC No-21783/2019 को समेकित करते हुए दिनांक 25.02.2021 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है:–

10. In view of subsequent decision of forfeiture of only 60% pension, the writ petition challenging the decision in C.W.J.C. No. 21783 of 2019 has become irrelevant and the same has to be read as modified as forfeiture of 60% pension.

11. Since the Vigilance case is still pending, the Court is constrained to hold that the decision forfeiting 60% pension shall abide by the final outcome of the Vigilance Case. If the decision in the Vigilance case ultimately decided in favour of the petitioner, the petitioner would be entitled to challenge the decision of forfeiture of pension in the light of decision of the Vigilance case. However, in the event, the Vigilance Court convicts the petitioner, the order of forfeiture of 60% pension shall remain intact.

12. It goes without saying that the petitioner should be paid post retiral dues @ 40% pension at the earliest preferably within a maximum period of four months from the date of receipt/production of a copy of this order.

13. All the previous orders passed in this case shall be read in the light of the order passed by this Court today.

14. With the aforesaid, both the writ applications stand disposed of."

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 25.02.2021 को पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा पुनर्विचार याचिका (Review Petition) 131/2021 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा Civil Review No.-131/2021 में दिनांक 10.07.2025 को पारित आदेश से खारिज कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत पूर्व में दी गयी शास्तियों यथा–पूरी पेंशन (शत–प्रतिशत) राशि स्थायी तौर पर जप्त करने संबंधी आदेश को संशोधित करते हुए श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को न्यायादेश की कंडिका–11 के निदेश सहित 60 प्रतिशत पेंशन जप्त करने एवं 40 प्रतिशत पेंशन विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

कृ०प०उ०

7. प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–02–रा0(आ0)–02/14–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–02–रा0(आ0)–02/14–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–02–रा0(आ0)–02/14–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–02–रा0(आ0)–02/14–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– श्री झकारी राम सेवानिवृत्त खनिज विकास पदाधिकारी, सूर्या बिहार, फेज–02, मकान–सी0/02, आशियाना नगर, पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–02–रा0(आ0)–02/14–5195/एम0, पटना, दिनांक 17/09/25

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी /राजपत्रित स्थापना (मु0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/25
सरकार के अपर सचिव